

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 19 ( 2 ) सा.प्र./ग्रुप-4/2014

जयपुर, दिनांक 9/3/15

मुख्य अभियन्ता (भवन),  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-द्वितीय श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित द्वितीय श्रेणी के आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु 2.31 लाख (अक्षरे रूपये दो लाख इकतिस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क स	नाम एवं आवास स	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1.	श्री बाल कृष्ण गोयल, एन-6, गांधीनगर	1.Replacement of steel window. 2.Replacement of wooden cabinet 3.Renovation of Bath.	0.29 0.05 0.50	0.84
2.	श्री राजेश कुमार गुप्ता, एन-13, गांधीनगर	1.Replacement of Dhar with CC and Mosaik Tiles. 2.P&F compound wall gate with pillar & plaster. 3.P&F Fiber sheet shade including steel.	0.54 0.10 0.27	0.91
3.	श्री एस.पी. सिंह 2/17 गांधीनगर, जयपुर	1.Replacement of Tin shade inc. steel 2.Replacement of Door. 3.Replacement of window.	0.44 0.06 0.06	0.56
		कुल योग रूपये	—	2.31

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800- अन्य व्यय (01) निर्माण [06] प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) से चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि सम्बन्धित आवास में स्वीकृत कार्य पर ही राशि का व्यय की जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

भवदीय

sd-  
( एम. के. खीची )  
उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर दृत्त जयपुर ।
4. अधिशाही अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-गा, जयपुर ।
5. संबंधित आवासी, गांधीनगर, जयपुर ।
5. रक्षित पत्रावली ।

sd-  
उप शासन सचिव (क)